समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर केंप सागर

निगरानी - 3511/2018/छतरपुर/भू.रा.

लल्लू पुत्र बंदरा काछी
निवासी ग्राम–टहनगा तह0 बडामलहरा,
जिला–छतरपुर (म0प्र0) ....आवेदक

//बनाम//

1. टूंडे काछी तनय मल्ला उर्फ गिल्ला काछी
निवासी ग्राम–टहनगा तह0 बडामलहरा,जिला–छतरपुर (म0प्र0)
2. हल्कुवा तनय मल्ला उर्फ गिल्ला काछी(फौत) वारिशानः–
(अ) रामा पुत्री बंदारा काछी
सभी निवासी ग्राम–टहनगा तह0 बडामलहरा,
जिला–छतरपुर (म0प्र0) ....अनावेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि. 7-6-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 14-6-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत् धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् अपर कमिश्नर सागर संभाग सागर के प्र0क्र0 836 अ/6 वर्ष 2015–16 में पारित आदेश दिनॉक 20.04.2018 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता हैः–

मुकेश भार्गव एडवोकेट 7618 ग्वालियर

//प्रकरण के तथ्य//

1. यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम टहनगा तह0 बडमलहरा स्थित भूमि ख0नं0 क्रमशः 220,262,263 रकवा क्रमशः 0.283,0.543,0.251 कुल रकवा 1.117 हे0 भूमि हल्कुवा तनय मल्ला,टूडा तनय मल्ला, रमुवा तनय बंदरा काछी साकिन देह भूमि स्वामी के नाम शामलाती दर्ज थी। हल्कुवा काछी निःसंतान थे जिसके हक व हिस्से की भूमि को अनावेदक क्र01 टूडा काछी द्वारा छल कपट करके रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से क्रय कर ली जिनको जानकारी होने पर हल्कुवा द्वारा एक आपत्ति तहसीलदार के समक्ष नामांतरण न किये जाने हेतु प्रस्तुत की थी। अनावेदक क्र01 टूडा द्वारा जब हल्कुवा के फौत हो जाने पर उक्त भूमि जो हल्कुवा के कय की थी को नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर आवेदक द्वारा भी नामांतरण आवेदन में आपत्ति आमंत्रितं के समय एक आपत्ति प्रस्तुत की थी जिस पर विचारण न्यायालय तहसीलदार द्वारा अनावेदक

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3511/2018/छतरपुर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
19-06-2018	आवेदक की ओर से श्री आर.डी. शर्मा अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के आदेश दिनांक 20-04-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसीलदार द्वारा नामांतरण नियमों का पालन नहीं किया गया है, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है तथा अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अत: यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य	